इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 566] भोपाल, शनिवार, दिनांक 21 दिसम्बर 2013—अग्रहायण 30, शक 1935

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 21 दिसम्बर, 2013 (अग्रहायण 30, 1935)

क्र. 42545-वि.स.-विधान-2013.—राज्यपाल महोदय का निम्नलिखित आदेश दिनांक 21 दिसम्बर, 2013 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:—

आदेश

मैं, रामनरेश यादव, मध्यप्रदेश का राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 188 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा श्री के. डी. देशमुख, सदस्य विधान सभा, को एवं तदनन्तर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अथवा संविधान के अनुच्छेद 180 (2) के अधीन कार्यरत किसी व्यक्ति को, ऐसा व्यक्ति नियुक्त करता हूं जिसके समक्ष विधान सभा के सदस्य उक्त अनुच्छेद के अनुसार शपथ ग्रहण करेंगे अथवा प्रतिज्ञान करेंगे.

भोपाल:
दिनांक 21 दिसम्बर, 2013

रामनरेश यादव
राज्यपाल.''

आर. के. पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.